

विधान परिषद के तृतीय सत्र-2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-08 का उत्तर

प्रश्न

8(क)- क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग निर्बल आय वर्ग के लोगों को पेंशन जारी करता है?

(ख) यदि हां, तो कितने प्रकार की पेंशन जारी की जा रही है?

(ग) क्या अलग-अलग प्रकार की श्रेणी के सभी पात्र व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत की गई है?

(घ) यदि नहीं, तो सभी प्रकार की श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत करायेंगे?

(ङ.) यदि हाँ, तो कब तक?

(च) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन जिनकी वार्षिक आय-सीमा प्रति परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में रु0 56460/- है, वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु अनुमन्य है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)